

## अध्याय 2

### आय-कर की दरें

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर ।  
10 आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकल्पित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खंड (ख) में उपबंधित  
15 रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकल्पित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

20 (ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

25 परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो “एक लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख अस्सी हजार रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष का या उससे अधिक आयु का है, इस धारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो 30 “एक लाख पचास हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख पच्चीस हजार रुपए” शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार प्राप्त आय-कर की रकम में उस पैरा में उपबंधित रीति से प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या अध्याय 12ज या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथा उपबंधित रीति से और, यथास्थिति, 5 उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ड और धारा 115जख के 10 अधीन कर से प्रभार्य है, या अनुषंगी फायदों के संबंध में, जो धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य हैं, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति, हिंदू अविभक्त कुटुंब, व्यक्ति-संगम और व्यक्ति-निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या न हो, जहां कुल आय दस लाख रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, 15 ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक फर्म और देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से, 20

अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115बक के अधीन कर से प्रभार्य किन्हीं अनुषंगी फायदों के संबंध में इस उपधारा 25 के अधीन संगणित आय-कर में संघ के प्रयोजनों के लिए संगणित अधिभार निम्नलिखित दशा में बढ़ा दिया जाएगा,—

(क) प्रत्येक व्यक्ति-संगम और व्यक्ति-निकाय की दशा में, चाहे निगमित हो या नहीं, जहां अनुषंगी फायदे दस लाख रुपए से अधिक हैं आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) आय-कर अधिनियम की धारा 115ब के खंड (क) के उपखंड (v) में निर्दिष्ट प्रत्येक फर्म, कृत्रिम विधिक व्यक्ति और देशी कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ; 30

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, ऐसे आय-कर के ढाई प्रतिशत की दर से ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ग या धारा 115द की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा । 35

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194ङ, धारा 194ड, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा । 40

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा । 45

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के ढाई प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

5 (9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन “वेतन” शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है अथवा संदत्त किया जाना है उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम कर” की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा

10 या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, “अग्रिम कर” की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

15 परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित “अग्रिम कर” की रकम में, कंपनी के मामले से संबंधित पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा ड में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115ड और धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के

20 संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित “अग्रिम कर” में,—

(क) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे “अग्रिम कर” के ढाई प्रतिशत की दर से,

25 परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परन्तु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कम्पनी की दशा में जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, उस आय पर “अग्रिम कर” और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर अग्रिम कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है।

30 (10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारित की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय एक लाख साठ हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय “अग्रिम

35 कर” की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, (अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम एक लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो किंतु कर के दायित्वाधीन न हो) ; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या “अग्रिम कर” निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा :—

40 (i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में एक लाख साठ हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

45 (iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या “अग्रिम कर” होगी :

परंतु ऐसी प्रत्येक स्त्री की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष से कम आयु की है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो “एक लाख साठ हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “एक लाख नब्बे हजार रुपए” शब्द रखे गए थे :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय पैंसठ वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो “एक लाख साठ हजार रुपए” शब्दों के स्थान पर, “दो लाख चालीस हजार रुपए” शब्द रखे गए हों :

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके:

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिसमें आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है यदि स्रोत पर कर की कटौती के अधीन रहते हुए या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए, आय को देशी कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है संदत्त किया जाता है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित “आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर” नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है यदि स्रोत पर कर की कटौती के अधीन रहते हुए या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए, आय को देशी कंपनी या ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है संदत्त किया गया है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “देशी कंपनी” से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2009 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) “बीमा कमीशन” से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, “शुद्ध कृषि-आय” से, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।